

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय किकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.92 हे0 वन भूमि लोनिंगिंग को हस्तान्तरण।

मानक शर्तें-

मानक शर्तें का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. कम भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की गौति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयुक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी अथवा उनके द्वारा वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर राजविधित वनाधिकारी द्वारा निरापत्ति प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा रेख में किया जायगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आवश्यित नहीं होगी।
8. बहुमत्य वन सापदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रतावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छत विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. संचारित विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसीरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संरक्षा या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना दान विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि कीआवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन। आदि स्वत विना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तथा करते समय लांग लांग विभाग का फारमर्श लांग लांग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लोनिंगिंग को सम्बोधित पञ्च संख्या 608 से0 दिनांक 10-2-82 में विहित आदेशों का पालन भी लांग लांग विभाग द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्ग का सुदृढीकरण/ चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन सरक्षण अधिनियम, 1980, के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बोधित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान वाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।